तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/3/25	[illegible]

सहायक [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 159/2021

जीसीएमएस न. 2021/301)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक 28.05.2024

जानकी वगै0 बनाम कुमरसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा सीपीसी.व मुकदमे जानकी बनाम कुमरसिह वगै0

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादिनी ने दावांतर्गत धारा 53,188 आरटीए के तहत पेश किया है जो गलत किया है। वर्णित विवादित आराजी ख.न. 1651 रकवा 0.19 हैक्ट. पर पूर्व दावा रामेश्वरी बनाम राजवीरी मु.न. 579/2008 में तय हो चुका है। जिसका कुरा नंबर 26 दावा न्यायलय हाजा में हो चुका है जिसका अमल नहीं किया गया है जबकि हाल दावा नंबरी 129/2021 में इसी नंबर को लेकर दावा किया है जो श्रीमान द्वारा धारा 11 के तहत निषेध है और पक्षकार मुकदमा भी तथा दूसर मुकदमा विभाजन भी उसी रिलीफ के लिए किया है जो काबिल निरस्तनीय है। दावा सन 2009 में कुरे विभाजन होने डिक्री व इजराय हेतु 04.07.19 को द्वारा पटवारी हल्का लखनपुर को सूचित है। परन्तु इजराय पालना के अभाव में पूर्व दावा का विभाजन व तरमीम नक्शा को पटवारी हल्का द्वारा रोककर पिछले दावा का स्थगन विचाराधीन देखकर स्थगन राजस्व रिकार्ड लगाना काबिल गौर अदालत है तथा समान पक्षकार, समान आराजी व समान रिलीफ पर धारा 11 सीपीसी लागू होने के कारण दावा नंबरी 129/2021 अंतर्गत धारा 53, 188 काबिल खारिजी के है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:18 IST
Reason: SelfAttested

28/5/24

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जबाव पेश किया गया जिसमें वर्णित किया कि आराजी खसरा नंबर 1651 में से 1/48 हिस्सा व 1/4 हिस्सा वादिनीगण ने जरिए रजिस्टर्ड वयनामा गुंजन पत्नी महावीर जाति वैश्य निवासी गोबरा से उचित प्रतिफल देकर खरीद किया है। तथा वक्त वयनामा से भी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण मौके पर काबिजकाश्त रहे हैं। वादीगण ने उपरोक्त आराजीयात को खातेदार गुंजन से खरीद किया है वादीगण को पूर्व में चले किसी भी दावे की जानकारी नहीं थी तथा वादीगण न ही उस समय कोई सहखातेदार थी। वादीगण 1 सद्भावी क्रेता है जिसने सब रजिस्ट्रार लखनपुर के यहां उपस्थित होकर निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी लगाकर तथा विधि अनुसार निर्धारित तरीके से कब्जा प्राप्त कर प्रतिफल राशि देकर एक सद्भावी क्रेता की हैसियत से वयनामा तस्दीक कराया है। पूर्व में जो दावा चला होना प्रार्थी/वकील साहब ने बताया है उसमें वादीगण पक्षकार मुकदमा नहीं थे तथा अब वादीगण की ओर से दावा पेश किया है इसलिए पक्षकार मुकदमा समान नहीं होने के कारण 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी द्वारा जो दावा 53, 183 आरटीए का पेश किया है जिसमें वर्णिज आराजी खसरा नंबरान बाबत् पूर्व में दावा नंबर 579/08 में उक्त विवादित खसरा नंबरान का निर्णय हो चुका है। इसी आराजी बाबत् पुनः दावा वादीगण द्वारा पेश किया गया है तथा पूर्ववर्ती दावा जो डिक्री हुआ है उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से रोकने हेतु दावा पेश कर स्थगन प्राप्त किया है जिससे पूर्ववर्ती दावे का अमल न हो सके। तथा खसरा नंबर 1651 जो टीकम को दिया गया है जो वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 6 पर पक्षकार के रूप में दर्ज है। तथा कुरा नंबर 26 में 1651 रकबा 0.[illegible] कुंदरसिंह को दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:18 IST
Reason: SelfAttested

20/5/24

Scanned with OKEN Scanner

गया है। जो कि उक्त दावा में प्रतिवादीसंख्या 1 है तथा कुरा नंबर 28 में गुंजन कुमारी व अन्य खातेदार दर्ज हैं। इस प्रकार गुंजन पूर्ववर्ती वादपत्र में पक्षकार रही है जिस प्रकार गुंजन ने जो खसरा नंबरान क्रय किया है वो बाद में खरीद किया है। इस प्रकार पूर्ववर्ती वाद एवं वर्तमान वाद समान आराजी को लेकर तथा समान पक्षकार एवं समान रिलीफ चाही गई है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिजि किया जावे।

वकील अप्रार्थी /वादी नें अपनी बहस में तर्क दिया कि पूर्ववर्ती दावा धारा 53, 188 का था उन सहखातेदारों की आराजी थी। पूर्ववर्ती दावे में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 दिनयम 17 लगा उनको पक्षकार मुकदमा भी बनाया गया तथा इनकी आपत्ति मृत्योपरांत आई तथा दावा फाईनल डिक्री भी जारी कर दी गई । उक्त दावे की अपील दीवान बनाम रामेश्वरी के नाम से अपील पेश की जिसमें प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री को चैलेंज देकर गई है। उस समय स्थगन नही था गुजन अपना हिस्सा जानकी को बेचान कर दिया सदभावी क्रेता की श्रेणी मे आता है। समान पक्षकार समान रिलीफ समान आराजी हो मेरे पक्षकार उस वक्त पक्षकार विधी व साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों को अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा दावा 53, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। जिसमें वाद पत्र में मंद स. 2 में वर्णित विवादित आराजी ख.न. 1651 रकवा 0.19 वाके ग्राम लखनपुर पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी के पूर्व वाद रामेश्वरी बनाम राजवीर वगै0 मु.न. 579/2008 निर्णय दिनांक 15.04.2019 अनतर्गत धारा 53, 188 आरटीए का निर्णय हो चुका है। जिसमें ख.न. 1651 रकवा 0.19 वर्णित है तथा पत्रावली में संलग्न कुर्रा रिपोर्ट में ख.न. 1651/0.19 कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 12.02.2018 के कुर्रा न. 26 में साहबसिंह, रामकिशन, कुमारसिंह करतारसिंह रामवीरसिंह पुत्रान पूरन व पांची बेवा पूरन ... बाद स्वा. देह को दिये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:18 IST
Reason: SelfAttested

28/5/...

Scanned with OKEN Scanner

है। तथा वर्तमान वाद पत्र में कुमारसिंह प्रतिवादी स. 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। तथा वादी द्वारा ख.न. 1661 रकबा 0.19 मे से 1/48 हिस्सा 1/4 वादीगण द्वारा जरिये रजि. बयनामा गंजन पत्नि महावीर जाति वैश्य निवासी गौबरा से क्रय किया जाना बताया है तो पूर्वती वाद पत्र में गंजन को कुर्रा न. 28 में गंजन कुमारी पत्नि महावीर को अपना हिस्सा दिया गया है। तथा बाद में गंजन से क्रय किया गया है। एवं वादीगण जानकी द्वारा जो पूर्वती वाद पत्र में प्रतिवादी स. 24 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाई गयी है। इस प्रकार पूर्वती वाद पत्र में विवादित आराजी का निर्णय हो चुका है। वादीगण द्वारा वाद पत्र पुनः इसी आराजी को लेकर वाद पेश किया गया है। जो पूर्व में वाद पत्र अनुसार समान पक्षकार समान आराजी व समान रिलीफ इस वाद पत्र में भी चाही गयी है। इसलिए उक्त वाद पत्र धारा 11 सीपीसी से ग्रस्त है तथा वादी पुन. उसी आराजी को लेकर वाद इसी न्यायालय में पेश नही किया जा सकता लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा में विचाराधीन दावा वादी उनवानी जानकी बनाम कुमारसिंह वगै0 मुकदमा संख्या 159/2021 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.24 को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/5/24
(गंगाधर मीणा)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner